1.8.25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशिका दिनांक 20.6.25 की पालना के दिनांक 27.8.2025 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

27.8.25 पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते गत आदेशिका दिनांक 20.6.2025 की पालना के दिनांक 12/9/25 को पेश हो

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

12/9/25 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब V.C. मे पधारे है।
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 26.9.25 को पेश हो।

26/9/25 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब ग्रामीण सेवा शिविर मे पधारे है
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 15.10.25 को पेश हो।

15.10.25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता को अन्य न्यायालय के स्थगन रिपोर्ट पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी आदिनांक तक पेश नहीं करने अपीलार्थी अधिवक्ता को स्थगन रिपोर्ट पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 7.11.2025 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

07.11.25 पत्रावली पेश हुई अपीलांट अधिवक्ता अनुपस्थित व इनकी ओर से इनके जूनियर अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता को गत आदेशिका दिनांक 15.10.2025 के द्वारा उक्त पत्रावली के वादग्रस्त आराजी में अन्य न्यायालय का स्थगन होने का प्रमाण पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद व पूर्व में भी स्थगन आदेश पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी स्थगन रिपोर्ट पेश नहीं करने से पत्रावली में रेस्पो॰ अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

— लगातार ...

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, व रेस्पोंडेंट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त कृषि आराजी के संबंध में इस न्यायालय में अन्य विचाराधीन पत्रावली के प्रकरण सं- 126/2012 सुमित्रापुरी व अन्य बनाम भैरपुरी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय दिनांक 04.04.2023 के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि मौजा बागांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नंबर 31/1 रकबा 2-10 बीघा व खसरा नंबर 33/1 रकबा 12-10 बीघा कुल रकबा 15-00 बीघा के संबंध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदार घोषणा व विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सप. धारा 151 सीपीसी के आधार पर खारिज किया जा चुका है जिसमें इस न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी भूमि भैरपुरी की पुश्तैनी सम्पत्ति (Ancestral Property) नहीं मानकर Self acquired Property मानकर खारिज की है। साथ ही पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अपील में वर्णित खसरा नंबर पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं पाया गया। अतः अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं. से कम हो।

7.11.25

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)